राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] चौदहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

बुधवार,

16 सितम्बर, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः नमस्कार, नमस्कार। प्रेमपूर्वक आप सबको नमस्कार।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

अनुपस्थिति अनुमति

बी. एल. कुशवाह, श्री, सदस्य को 16 सितम्बर, 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बी. एल. कुशवाह, सदस्य, विधान सभा ने धौलपुर कारागार में निरुद्ध होने के कारण दिनांक 16 सितम्बर, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले भी नहीं दी थी। पहले ही सदन ने नामंजूर की थी उनकी।

श्री अध्यक्षः धौलपुर जेल में बंद हैं। उस समय कारण ठीक नहीं आया था, इस समय कारण ठीक है। वह धौलपुर जेल में बंद हैं इसलिये उनकी वाजिब है अनुपस्थिति। ठीक।

विशिष्ट सचिव।

विशिष्ट सचिव (राजस्थान विधान सभा): अध्यक्ष महोदय, मैं... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मीना और मीणा विवाद को लेकर जान-बूझकर सरकार उलझा रही है और प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभी कृपया, यह औपचारिक है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मेरी सरकार से मांग है कि मीणा और मीना विवाद को...(व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह (करौली): शोकाभिव्यक्ति में शामिल कर लिया जाए मीणा जाति को। माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सरकार प्रस्ताव पारित कर इसे भारत सरकार को चिट्ठी लिखे।

श्री अध्यक्षः इस विषय पर मैं आपको पूरा मौका दूंगा।

श्री दर्शन सिंह (करौली): यह सरकार मीणाओं को मारना चाहती है, इसलिये आज जो शोकाभिव्यक्ति है, उसमें मीणाओं को भी शामिल कर लिया जाए और उनको श्रद्धांजलि दे दी जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): और उनको 2014 से तुरन्त वापस ले और हाई कोर्ट में प्रभावी रूप से पैरवी करे, यह, माननीय, आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह (करौली): मीणा जाति के लोगों को श्रद्धांजलि दे दो। इनको सरकार मारना चाहती है, इनका श्रद्धांजलि में आज नाम शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्षः विराजिये। इस विषय पर इस सत्र में आप चाहेंगे तो मैं सरकार का भी स्टेटमेंट कराऊंगा और इस विषय पर बोलने के लिये बहस भी अलाउ करूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक निवेदन करना चाहूंगा बिजनस चालू होने से पहले, सदन की नेता बैठी हैं, पूरे राजस्थान की हिन्दुस्तान में बदनामी हुई है, जिस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस सदन की नेता....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

विशिष्ट सचिव (राजस्थान विधान सभा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

1. राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014
2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015
3. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015
5. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015
6. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015
7. राजस्थान वित्त विधेयक, 2015
8. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015
9. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

(विशिष्ट सचिव)

10. महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015
11. डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015
12. राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015
13 राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015
14. राजस्थान नदी बेसिन और जल संरक्षण योजना विधेयक, 2015
15. राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015
16. आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015
17. राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015
18. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015
19. राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015
20. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति के बिना बोले हैं, इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो। मेरी अनुमति के बिना प्रतिपक्ष के नेता बोले हैं, एक भी शब्द अंकित नहीं हो। अब मैं पुकारूंगा वह अंकित होगा और इधर से जो रेस्पांस आएगा वह अंकित होगा। इधर से एक भी शब्द अंकित नहीं होगा, जब तक मैं नहीं कह दूं। अगली बार में बिना अनुमति के बोलने की जरूरत नहीं है। इधर से एक शब्द अंकित नहीं होगा। मैं बोलूंगा, इधर से रेस्पांस आएगा वही होगा।

श्री कालीचरण सराफ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-2) सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दो अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015

1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-3)

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015

2. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-4) ...(भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-5) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: अजय सिंह।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-6) सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-7) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-8) सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(2) के अन्तर्गत कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: वापस लिया जाने वाला विधेयक। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(विधेयक सं. 24/2015)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इधर का एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। केवल इधर का होगा और मैं जो बोल रहा हूं, वही होगा। ये बिना अनुमति के बोल रहे हैं। इनका एक शब्द भी अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी है। अत: कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेता हूं।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला भी आपका ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(विधेयक सं. 36/2015)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापति करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
आपकी अनुमति से राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारणों का विवरण भी रखिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महर्षि अरविन्द

(श्री कालीचरण सराफ)

विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्या 2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष : श्री वासुदेव देवनानी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारणों का विवरण भी दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्या 5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं हो रहा है, आप आराम से बैठिये। आराम से बैठिये।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015, श्री वासुदेव देवनानी।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री वासुदेव देवनानी)
आपकी अनुमति से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, पुर:स्थापित कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं हो रहा है, कृपया बैठिये। आसन ग्रहण कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: न्यांगली साहब, आसन ग्रहण कीजिए, अंकित नहीं हो रहा है। आसन ग्रहण कीजिए।

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारण भी दे दीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015, श्री सुरेन्द्र गोयल।

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारण भी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015, श्री सुरेन्द्र गोयल।

विराजिये, अभी आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है। आराम से बैठिये।

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित कीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015, श्री अजय सिंह।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित कीजिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अब मैं बहुत ही संवेदनशील विषय पर आता हूं, हमारी शोकाभिव्यक्ति है। शोकाभिव्यक्ति के बारे में आप सबकी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति में ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): शोकाभिव्यक्ति का पुकारने के बाद कभी कोई बात नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय। शोकाभिव्यक्ति के लिए आपने पुकार दिया। डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ऐसी महान विभूति को शोकाभिव्यक्ति दी जा रही है। यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है, यह बीच में बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिये, मेरा निवेदन है, मैं शोकाभिव्यक्ति पढ़ लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं समझता हूं, कम से कम उन दिवंगतों के लिए तो आदर रखो जिन्होंने देश और प्रदेश के लिए कुछ किया। उनके लिए तो आदर रखो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप भी बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बिहार एवं केरल के पूर्व राज्यपाल श्री आर.एस. गवई, हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती शीला कौल, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जानकी बल्लभ पटनायक, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री डा. विल्फ्रेड ए. डिसूजा, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री रघुवीर सिंह कौशल, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री नाथूलाल गुर्जर, कौशल किशोर जैन, हरिराम चौहान तथा गिरधारी लाल भोबिया के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डा., पूर्व राष्ट्रपति

पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। आपने मद्रास इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति रहे। आपने उच्च संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से राष्ट्रपति के गरिमामय पद की प्रतिष्ठा एवं गौरव को बढ़ाकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया।

वैज्ञानिक सोच से सम्पन्न स्वप्नदृष्टा डा. कलाम ने चार दशक तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (डी.आर.डी.ओ.) में वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में काम करते हुए रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक अभिनव प्रयोग किये। आपके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम (एसएलवी-3) की शुरूआत हुई जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए आपने भारत को 'अन्तरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब' में शामिल करवाया। 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रख्यात रहे डा. कलाम ने भारत के असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं सैन्य प्रक्षेपास्त्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1998 में पोकरण में हुए परमाणु परीक्षण अभियान में आपने तकनीकी एवं राजनीतिक रूप से आधारभूत भूमिका निभायी। आप वर्ष 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे।

वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा रक्षा तकनीक के आधुनीकरण में आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया। वर्ष 1981 में 'पद्म भूषण' तथा

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 1990 में 'पद्म विभूषण' पुरस्कार से सम्मानित डा. कलाम को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको 30 से अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा डाक्टरेट की मानद् उपाधि प्रदान की गयी। डा. कलाम के 79वें जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विश्व विद्यार्थी दिवस' के रूप में मनाया गया।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी डा. कलाम एक विद्वान अध्येता थे। डा. कलाम की 'इंडिया 2020–ए विजन फार द न्यू मिलेनियम', 'विंग्स आफ फायर–एन आटोबायोग्राफी' तथा 'इग्नाइटेड माइन्ड्स – अनलीशिंग द पावर विदिन इंडिया' सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् डा. कलाम शिक्षा, लेखन एवं जन सेवा में जुट गये। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, शिलांग, अहमदाबाद एवं इन्दौर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दीं। अध्यापन में रुचि रखने वाले डा. कलाम भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के मानद् फैलो तथा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनन्तपुरम के कुलाधिपति सहित भारत के अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से जुड़े रहे।

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का दिनांक 27 जुलाई, 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदयाघात के कारण निधन हो गया। डा. कलाम के निधन से देश ने एक ऐसा दूरदर्शी राजनेता, महान वैज्ञानिक और मानवीय मूल्यों का संवाहक खो दिया है जो जीवनभर प्रगतिशील एवं समतावादी समाज के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहा। डा. कलाम ने राष्ट्र के जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्पद बना रहेगा।

आर.एस. गवई, श्री, पूर्व राज्यपाल

बिहार तथा केरल के पूर्व राज्यपाल श्री आर.एस. गवई का जन्म 30 अक्टूबर, 1929 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दारापुर में हुआ। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री आर.एस. गवई वर्ष 1964 से 1994 तक लगातार पांच कार्यकाल तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आप वर्ष 1978 से 1984 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति भी रहे। विधान परिषद के कार्यकाल के दौरान आप महाराष्ट्र विधान परिषद के उप सभापति तथा नेता प्रतिपक्ष भी

(श्री अध्यक्ष)

रहे। श्री गवई बारहवीं लोक सभा तथा वर्ष 2000 से 2006 तक राज्य सभा के सांसद रहे। श्री गवई 22 जून, 2006 से 9 जुलाई, 2008 तक बिहार तथा 11 जुलाई, 2008 से 7 सितम्बर, 2011 तक केरल में राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

श्री गवई को समाज सेवा के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए 'कुष्ठ मित्र', 'प्रियदर्शनी पुरस्कार' सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आप डा. बी. आर. अम्बेडकर स्मारक समिति और दीक्षा भूमि, नागपुर के चेयरमैन तथा भारत सरकार की भूमि सुधार समिति के सदस्य रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री गवई की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आपने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री आर.एस. गवई का दिनांक 25 जुलाई, 2015 को निधन हो गया।

शीला कौल, श्रीमती, पूर्व राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती शीला कौल का जन्म 7 फरवरी, 1915 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। आपने लाहौर वीमेंस कालेज और सर गंगाराम ट्रेनिंग कालेज से बी.ए.बी.टी. की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती शीला कौल पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के लिए लखनऊ से तथा नौवीं और दसवीं लोक सभा के लिए रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुईं। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति, नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विषय समिति की सदस्य रहीं। श्रीमती कौल वर्ष 1980 से 1984 तक केन्द्रीय शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री तथा वर्ष 1991 से 1995 तक केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री रहीं। आप वर्ष 1995 के दौरान शहरी मामले और रोजगार मंत्री भी रहीं।

श्रीमती कौल वर्ष 1968 से 1971 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। आप 17 नवम्बर, 1995 से 22 अप्रैल, 1996 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहीं।

वर्ष 1959 से 1965 तक नगर निगम, लखनऊ की कारपोरेटर रहीं श्रीमती कौल भारतीय साक्षरता बोर्ड, नई दिल्ली की सदस्य तथा लखनऊ फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष रहीं। समाज सेवी श्रीमती कौल अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहीं। आपने कई अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिनिधित्व किया तथा अनेक देशों की यात्राएं कीं। श्रीमती कौल ने कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्रीमती शीला कौल का दिनांक 13 जून, 2015 को निधन हो गया।

जानकी बल्लभ पटनायक, श्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ओडिशा

ओडिशा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जानकी बल्लभ पटनायक का जन्म 3 जनवरी, 1927 को ओडिशा के पुरी जिले के रामेश्वर ग्राम में हुआ। आपने उत्कल विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक ओडिशा विधान सभा के चार बार सदस्य रहे। आप वर्ष 1980 से 1989 तथा वर्ष 1995 से 1999 तक तीन बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। आप वर्ष 2004 से 2009 तक ओडिशा विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। पांचवीं तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे श्री पटनायक वर्ष 1973 से 1977 तक केन्द्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। आप वर्ष 1980 में पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा श्रम मंत्री रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री पटनायक वर्ष 2009 से 2014 तक असम के राज्यपाल पद पर आसीन रहे।

अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री पटनायक कई शैक्षिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। आप कांग्रेस पार्टी में भी अनेक पदों पर रहे। पत्रकारिता से जुडे रहे श्री पटनायक की 'गौतम बुद्ध-एक जीवनी' सहित करीब एक दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आप 'ईस्टर्न टाइम्स' उड़िया दैनिक 'प्रजातंत्र' तथा मासिक पत्रिका 'पौरुष' के सम्पादक रहे। श्री पटनायक के यात्रा संस्मरणों के साथ ही वन्य जीव, अन्तरराष्ट्रीय मामलों तथा साहित्य पर अनेक लेख प्रकाशित हुए।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक का दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को निधन हो गया।

विल्फ्रेड ए. डिसूज़ा, डा., पूर्व मुख्य मंत्री, गोवा

गोवा के पूर्व मुख्य मंत्री डा. विल्फ्रेड ए. डिसूज़ा का जन्म 23 अप्रैल, 1927 को गोवा के अंजूना में हुआ। आपने बंबई विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्राप्त की। आप रायल कालेज आफ सर्जन, इंग्लैंड एवं एडिनबर्ग तथा एसोसिएशन आफ सर्जन्स आफ इंडिया के फैलो तथा इंटरनेशनल कालेज आफ सर्जन्स के आनरेरी फैलो भी रहे।

डा. विल्फ्रेड ए. डिसूज़ा दो बार गोवा, दमन दीव विधान सभा के

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य रहे। इस दौरान आप विधान सभा की प्राक्कलन समिति, गृह समिति सहित अन्य प्रवर समितियों के सदस्य रहे। डा. डिसूज़ा जून, 1981 से सितम्बर, 1983 तक उप मुख्यमंत्री भी रहे। पहली से चौथी गोवा विधान सभा तक निरन्तर चार बार विधायक निर्वाचित हुए डा. डिसूज़ा वर्ष 1991 से मई, 1993 तथा दिसम्बर, 1994 से जुलाई, 1998 तक राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। आप मई, 1993 से अप्रैल, 1994 व अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994 तथा जुलाई, 1998 से नवम्बर, 1998 तक तीन बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। आप जनवरी से मार्च, 1990 तक चिकित्सा, पर्यटन, आयोजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वन एवं पर्यावरण विभागों के मंत्री रहे। डा. डिसूज़ा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तथा विशेषाधिकार समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के सभापति भी रहे।

प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक डा. डिसूज़ा कुशल राजनीतिक और दक्ष प्रशासक भी रहे। प्रतिभाशाली सर्जन के रूप में की गयी आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको 'एमीनेन्ट मेडिकल मैन एंड स्टेट्समैन' के रूप में डा. बी.सी. राय अवार्ड सहित अनेक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

डा. विल्फ्रेड ए. डिसूज़ा का दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को निधन हो गया।

रघुवीर सिंह कौशल, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्री रघुवीर सिंह कौशल का जन्म 22 फरवरी, 1933 को कोटा जिले के भोजाखेड़ी ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल छठी, सातवीं, नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में बारां निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी तथा सातवीं, नौवीं एवं दसवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री कौशल फरवरी, 1994 से मार्च, 1998 तक ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति एवं प्राक्कलन समिति 'ख' के सदस्य तथा राजकीय उपक्रम समिति के सभापति रहे। आप पेयजल समस्या समाधान समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी रहे। श्री कौशल तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सांसद रहे। इस दौरान आप रक्षा समिति, आचरण समिति,

(श्री अध्यक्ष)

नियम समिति तथा जल संसाधन सम्बन्धी समिति सहित विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री कौशल अपने सार्वजनिक जीवन में भारतीय किसान संघ, राजस्थान, अन्ता की कृषि उपज मण्डी एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे। आप केन्द्रीय सहकारी बैंक, कोटा के उपाध्यक्ष तथा जिला सहकारी संघ, कोटा के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री कौशल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। कृषकों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री कौशल को राजस्थान में गन्ना उत्पादन के लिए 'कृषि पंडित' उपाधि से सम्मानित किया गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल का दिनांक 24 अगस्त, 2015 को निधन हो गया।

नाथूलाल गुर्जर, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री नाथूलाल गुर्जर का जन्म वर्ष 1947 में बूंदी जिले के अखताशा ग्राम में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री नाथूलाल गुर्जर ग्यारहवीं विधान सभा के लिए फरवरी, 2001 में हुए उप चुनाव में हिण्डौली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सदस्य भी रहे।

श्री गुर्जर बूंदी जिले की ग्राम पंचायत बल्लोप के तीन बार सरपंच निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री गुर्जर दल के प्रदेश प्रतिनिधि तथा जिला उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री नाथूलाल गुर्जर का दिनांक 19 मई, 2015 को निधन हो गया।

कौशल किशोर जैन, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री कौशल किशोर जैन का जन्म 25 सितम्बर, 1941 को अलवर में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री कौशल किशोर जैन छठी राजस्थान विधान सभा में भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

केशव विद्यापीठ के संस्थापक रहे श्री जैन वरिष्ठ नागरिक संस्थान के

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष भी रहे। आपने गलता जीर्णोद्धार कार्य में सक्रिय भूमिका निभायी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध रहे श्री जैन ने 10 जुलाई, 1975 से 29 जनवरी, 1977 तक जेल यात्रा की।

श्री कौशल किशोर जैन का दिनांक 14 अप्रैल, 2015 को निधन हो गया।

हरिराम चौहान, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री हरिराम चौहान का जन्म 28 जनवरी, 1925 को हुआ। आपने हिन्दी रत्न की उपाधि प्राप्त की।

श्री हरिराम चौहान तीसरी राजस्थान विधान सभा में तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे।

किसान सभा एवं मजदूर संघ से सम्बद्ध रहे श्री चौहान नारनौल नगर परिषद् के सदस्य रहे। आप स्टेट काउंसिल आफ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौहान ने शोषण के विरुद्ध लोगों को जाग्रत कर उन्हें संगठित किया।

श्री हरिराम चौहान का दिनांक 11 अप्रैल, 2015 को निधन हो गया।

गिरधारी लाल भोबिया, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री गिरधारी लाल भोबिया का जन्म 15 फरवरी, 1931 को बीकानेर जिले के बाघनू ग्राम में हुआ। आपने प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गिरधारी लाल भोबिया दूसरी राजस्थान विधान सभा में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

प्रगतिशील विचारधारा के अनुगामी रहे श्री भोबिया नोखा तहसील की कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। श्री भोबिया ने वर्ष 1953 में बीकानेर जिला किसान सभा की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभायी। आप बीकानेर जिला किसान सभा के प्रधान भी रहे। संगीत और साहित्य सृजन में रुचि रखने वाले श्री भोबिया का 'दोषी कौन' शीर्षक से कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ।

श्री गिरधारी लाल भोबिया का दिनांक 9 अगस्त, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर

(श्री अध्यक्ष)

से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

नेपाल तथा देश के अन्दर विभीषिकाओं के मृतक

दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आये विनाशकारी भूकम्प में हजारों लोग मारे गये। इस प्राकृतिक आपदा में भारत के भी कई राज्यों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

दिनांक 14 जुलाई, 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री पुष्करालु घाट पर गोदावरी महा पुष्करम् के अवसर पर श्रद्धालुओं और दिनांक 10 अगस्त, 2015 को झारखण्ड के देवधर जिले के बेला बागान के दुर्गा मंदिर के पास कावड़ियों में मची भगदड़ में मारे गये लोगों, दिनांक 4 अगस्त, 2015 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में काली माचक नदी के पुल पर हुई रेल दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों तथा 12 सितम्बर, 2015 को मध्य प्रदेश के ही झाबुआ जिले के पेटलावद कस्बे में हुए एक विस्फोट में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी मैं शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 17 सितम्बर, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.44 बजे, गुरुवार दिनांक 17 सितम्बर, 2015 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)